

Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce

विकास आयुक्त का कार्यालय, जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र

Office of the Development Commissioner, Jaipur Special Economic Zone

सीएफसी भवन, सीतापुरा, जयपुर – 302022, CFC Building, Sitapura, Jaipur – 302022

Ph-0141-2770250 / 2770066

फाईल सं. जे.एस.ई. जेड./ परियोजना/ 04/ 2022-23/ 691

दिनांकित: 17.11.2024

1. निदेशक (विशेष आर्थिक क्षेत्र), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर विभाग, भारत सरकार, नया केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर।
4. आयुक्त (जयपुर-प्रथम), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, भारत सरकार, नया केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर।
5. उपसचिव (आई.एफ.-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
8. मुख्य महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
9. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, सीतापुरा, जयपुर।
10. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर।

विषय:- विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर की अनुमोदन समिति की दिनांक 25.11.2024 को दोपहर : 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर की अनुमोदन समिति की दिनांक 25.11.2024 को दोपहर : 12:00 बजे श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
पंकज शर्मा
27/11/2024
(पंकज शर्मा)
सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निर्दिष्ट अधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर।
2. सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन)- कार्यवृत्त की एक प्रति हिंदी अनुवाद हेतु संलग्न है।

सहायक विकास आयुक्त

Minutes of the Approval Committee Meeting of Jaipur Special Economic Zone, Sitapura (Multi Product SEZ) held at 12:00 PM on 25.11.2024 under the chairmanship of Shri A. Bipin Menon, Development Commissioner through Video Conferencing.

The following members of Approval Committee were present during the meeting through video conferencing:-

- a. Shri Praveen Kumar Mittal, Additional Commissioner of Income Tax, Jaipur.
- b. Shri P.N. Sharma, Jt. Director, Department of Industries, Rajasthan, Jaipur.
- c. Ms. Ashima Chawla, Assistant DGFT, Jaipur
- d. Shri Gya Prasad, Dy. Development Commissioner, NSEZ, Noida.
- e. Shri Anil Lakhani, Deputy Manager, RIICO, Jaipur.

i) Shri Buddhi Prakash, Specified Officer ii) iii) Shri Sanjay Jha, Senior RM (RIICO) and iii) Shri Pankaj Sharma, ADC were also present through video conferencing in the meeting to assist the Approval Committee. It was informed that the quorum was complete and the meeting could proceed.

The Chairman welcomed the participants at the outset and then the agenda was taken up for sequentially. After detailed deliberation amongst the members of the Approval Committee as well as interaction with Developer/ Representatives of the Units/ Applicants, the following decisions were unanimously taken:

Agenda Ratification of Minutes of Approval Committee meeting No. 1 held on 14.10.2024:

It was informed that no reference has been received against the decisions of the Approval Committee Meeting held on 14.10.2024 from any of the members of the Approval Committee/ Trade/ Unit. Therefore, Minutes of the meetings of Approval Committee held on 14.10.2024 were unanimously ratified.

Agenda Proposal of M/s A-ONE JEWELLERY, for Inclusion of new No. 02 items -reg.

2.1. The Proposal of M/s A-One Jewellery, Plot No. H1-10-11, SEZ-I, Sitapura, Jaipur for inclusion of new items / broad-banding in existing LOA No. 1-21/2003-SEZ-I(J)/Proj./2175 dt. 31.10.2003 was discussed in the meeting.

2.2. Shri Pankaj Bardiya, Partner appeared before the Approval Committee on behalf of the unit and explained the proposal. On being asked by the committee, they informed that Unit would submit revised Form-F3 with correct details & replies to the observations for further course of action.

2.3. After due deliberations, the Approval Committee unanimously **approved** the proposal for addition / revision of items in existing LOA:

SR. NO.	ITC/ CPC CODE	ITEM DESCRIPTION	METRIC	PRODUCTION CAPACITY
1	71131919	JEWELLERY OF GOLD OTHERS	KGS	100.00
2	71131149	JEWELLERY OF SILVER OTHERS	KGS	100.00
3	71049900	OTHER SYNTHETIC STONES & BEADS-WORKED	KGS	200.00

2.4. The approval is subject to rectification of observations already conveyed to the

unit. The unit shall strictly follow the Instruction No. 88 dated 16.08.2017 related to FTP 2015-20 issued by Department of Commerce. Further, the unit will also follow SOP issued by the O/o the DC, NSEZ, Noida vide letter No.1158 dated 31.01.2023 in respect of handling of Silver jewellery studded with Diamonds. Further, the unit will also execute BLUT for aforesaid purposes.

Agenda Proposal of M/s Riddhima Exports for monitoring of performance :

No. 3

3.1. The proposal of M/s Riddhima Exports, Plot No. H1-74(A), SEZ-II, for renewal of LOA in LOA No. 2-164-SEZ-II (J) Proj./ 1343 dated: 12.07.2007 renewal of LOA was discussed in the meeting.

3.2. Shri Ravi Khandelwal, Proprietor appeared before the Approval Committee.

3.3. After due deliberations, the Approval Committee unanimously empowered the O/o the Development Commissioner to take up the matter on file. Further, the committee also directed the unit to submit detailed export orders having clear description of goods with HSN code with Email ID, Mobile No & complete address of the buyers and reply to the deficiencies already conveyed to the unit.

Agenda Proposal for change of entity name in existing LOA:

No. 4

4.1 The Proposal of M/s AMRAPALI EXPORTS, Plot No. G-39 & G-40, SEZ-II, Sitapura, Jaipur for change of entity name & constitution in existing LOA No. 2-17/2004-SEZ-II (J) Proj./ 646 dated: 10.06.2004 was discussed in the meeting. The LOA of the unit is valid upto 20.04.2028.

4.2 After due deliberations, the Approval Committee unanimously approved the proposal for change of name the firm & constitution in terms of Instruction No. 109 dated: 18.10.2021 issued by Department of Commerce.

4.3 Accordingly, the revised name & constitution of the unit will be as under:-

S. No	Description	Existing	Revised
1.	NAME	M/s AMRAPALI EXPORTS	M/s AMRAPALI WORDWIDE LLP
2.	CONSTITUTION	PARTNERSHIP FIRM	LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP)

Agenda Proposal of M/s M.S. MODI & SONS, for monitoring of performance & renewal of LOA :

No. 5

5.1. The proposal of M/s M.S. MODI & SONS, Plot No. H1-86, SEZ-II, for renewal of LOA in LOA No. 2-64-SEZ-II (J) Proj./ 839 dated: 16.06.2005 renewal of LOA was discussed in the meeting.

5.2. **No one appeared before the Approval Committee.**

5.3. After due deliberations, the Approval Committee took a serious note &

unanimously decided to give a personal hearing to the unit by the Deputy Development Commissioner by show causing the unit as to **Why the Letter of Approval (LOA) should not be cancelled due to irregular working and nil exports since FY 2019-20.** Further, the committee also directed the unit to submit in the meantime a comprehensive business plan, clearance of RIICO dues amounting to Rs. 2.41 Lakhs and detailed export orders having clear description of goods with HSN code with Email ID, Mobile No & complete address of the buyers. They were also instructed to reply to deficiencies already conveyed.

Agenda Proposal of M/s AAA'S JEWELS, for Inclusion of new No. 06 items / Broad-banding / enchantment of production capacity of items-reg.

6.1. The Proposal of M/s AAA'S JEWELS, Plot No. G1-29, SEZ-I, Sitapura, Jaipur for Inclusion of new items / broad-banding / enchantment of production capacity in existing LOA No. 1-5/2003-SEZ-I(J)/Proj./2021 dt. 16.10.2003 was discussed in the meeting.

6.2. Shri Atul Sethi, Partner, appeared before the Approval Committee on behalf of the unit and explained the proposal. On being asked by the committee, they informed that Unit would submit revised Form-F3 with correct details & replies to the observations for further course of action.

6.3. After due deliberations, the Approval Committee unanimously **approved** the proposal for addition / revision of items & enhancement of production capacity in existing LOA **excepting** the following products:

Sr. No.	ITC/ CPC CODE	ITEM DESCRIPTION	METRIC	PRODUCTION CAPACITY
1	71131143-	JEWELLERY OF SILVER STUDDED WITH NATURAL DIAMONDS OF HEADING 7102	Kgs	2000.00
2	71131144-	JEWELLERY OF SILVER STUDDED WITH SYNTHETIC DIAMONDS OF HEADING 7104	Kgs	2000.00
3	71162000-	ARTICLES OF NATURAL, SYNTHETIC & RE-CONSTRUCTED-WORKED	Kgs	200.00
4	96019040-	WORKED HORN, CORAL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREOF	kgs	200.00

6.4. The approval is subject to rectification of observations already conveyed to the unit. The unit shall strictly follow the Instruction No. 88 dated 16.08.2017 related to FTP 2015-20 issued by DoC. Further, the unit will also execute BLUT for aforesaid purposes.

Supplementary Agenda

Agenda Proposal of M/s Mohan Exports for renewal of LOA with broad-banding of authorized items :

No. 7

7.1. The proposal of M/s Mohan Exports, Plot No. G1-47, SEZ-II, for renewal of LOA in LOA No. in LOA No. 2-30-SEZ-II (J) Proj./167 dated: 23.07.2004 renewal of LOA



was discussed in the meeting.

7.2. Shri Ashok Agarwal, Partner, appeared before the Approval Committee.

7.3. After due deliberations, the Approval Committee took a serious note that the unit had made dismal exports during FY 2018-19 to FY 2023-24 (NIL Exports in FY 2018-19, 2019-20 & FY 202-22) & accordingly **gave a last chance to the unit to make regular exports**. The committee **deferred** the proposal & directed the unit to ratify all the deficiencies already conveyed & to submit detailed export orders having clear description of goods with HSN code with Email ID, Mobile No & complete address of the buyers. The approval Committee also directed the customs division of JSEZ to carry out inspection and verification of stock and machinery as well as provide a report on the working condition of the unit.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.


(Gya Prasad)

**Deputy Development
Commissioner**


(A. Bipin Menon)

Development Commissioner

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2024 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- a. श्री प्रवीण कुमार मित्तल, संयुक्त, आयकर आयुक्त, जयपुर।
- b. श्री पी.एन. शर्मा, संयुक्त, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- c. सुश्री आशमा चावला, सहायक डीजीएफटी, जयपुर
- d. श्री गया प्रसाद, उप. विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)।
- e. श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी ii) श्री संजय झा, वरिष्ठ आरएम (RIICO) और iii) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया और बैठक आगे बढ़ सकती है।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर एक-एक करके कार्यसूची मर्दों पर विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ विकास/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

कार्यसूची संख्या 1- दिनांक 14.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से 14.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिनांक 14.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 2- मेसर्स ए-वन ज्वेलरी का नए आइटमों को शामिल करने का प्रस्ताव -के संबंध में।

2.1 बैठक में मेसर्स ए-वन ज्वेलरी, प्लॉट संख्या एच1-10-11, एसईजेड-1, सीतापुरा, जयपुर के मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 1-21/2003-एसईजेडआई (जे)/प्रोजेक्ट/2175 दिनांक 31.10.2003 में नए मद/व्यापक सरबंदी को शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

2.2. श्री पंकज बरडिया, भागीदार इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के उत्तर और सही विवरण के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 प्रस्तुत करेगी।

2.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) में निम्नलिखित मदों को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131990	अन्य सोने के आभूषण	किग्रा	100.00
2.	71131990	अन्य चांदी के आभूषण	किग्रा	100.00
3.	71141110	अन्य कृत्रिम पत्थर और मोती- काम किया	किग्रा	200.00

2.4. यह स्वीकृति इकाई को पहले से दी गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरे जड़े चांदी के आभूषणों की संचालन के संबंध में विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का भी पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची संख्या 3- मेसर्स रिद्धिमा एक्सपोर्ट्स का कार्य निष्पादन की निगरानी हेतु प्रस्ताव:

3.1. बैठक में मेसर्स रिद्धिमा एक्सपोर्ट्स, प्लॉट संख्या एच1-74(ए), एसईजेड-॥ के स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 2-164-एसईजेड-॥ (जे) परियोजना/1343 दिनांक 12.07.2007 में स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

3.2. श्री रवि खंडेलवाल, स्वामित्व अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

3.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से विकास आयुक्त कार्यालय को मामले को फाइल में लेने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, समिति ने इकाई को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और खरीदारों के पूर्ण पते के साथ एचएसएन कोड के साथ माल का स्पष्ट विवरण देने वाले विस्तृत निर्यात आदेश प्रस्तुत करने और इकाई को पहले से बताई गई कमियों का जवाब देने का निर्देश दिया।

कार्यसूची संख्या 4- मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) में इकाई का नाम बदलने का प्रस्ताव:

4.1 बैठक में मेसर्स आमपाली एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नंबर जी-39 और जी-40, एसईजेड-॥, सीतापुरा, जयपुर के मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) नंबर 2-17/2004-एसईजेड-॥ (जे) प्रोजेक्ट/646 दिनांक 10.06.2004 में इकाई का नाम और गठन बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 20.04.2028 तक वैध है।

22/05/2024

4.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक: 18.10.2021 के अनुसार फर्म के नाम और संविधान में परिवर्तन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

4.3 तदनुसार, इकाई का संशोधित नाम और संविधान निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	विवरण	मौजूदा	संशोधित
1.	नाम	मेसर्स आम्बपाली एक्सपोर्ट्स	मेसर्स आम्बपाली वर्डवाइड एलएलपी
2.	संघटन	साझेदारी इकाई	सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

कार्यसूची संख्या 5- कार्य निष्पादन की निगरानी एवं स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण हेतु मेसर्स एम.एस. मोदी एंड संस का प्रस्ताव:

5.1 बैठक में स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 2-64-एसईजेड-॥ (जे) परियोजना/839 दिनांक 16.06.2005 में स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए मेसर्स एमएस मोदी एंड संस, प्लॉट संख्या एच1-86, एसईजेड-॥ के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

5.2 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इसे गंभीरता से लिया और सर्वसम्मति से उप विकास आयुक्त द्वारा इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का निर्णय लिया, जिसमें इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से अनियमित कामकाज और शून्य निर्यात के कारण अनुमोदन पत्र (स्वीकृति पत्र (LOA) को रद्द क्यों न किया जाए। इसके अलावा, समिति ने इकाई को इस बीच एक व्यापक व्यवसाय योजना, 2.41 लाख रुपये की रीको (RIICO) के बकाया राशि का भुगतान और विस्तृत निर्यात आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें एचएसएन कोड के साथ माल का स्पष्ट विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और खरीदारों का पूरा पता हो। उन्हें पहले से बताई गई कमियों का जवाब देने के भी निर्देश दिए गए।

कार्यसूची संख्या 6- मेसर्स एए ज्वेल्स का प्रस्ताव, नई वस्तुओं को शामिल करने / व्यापक सरबंदी / वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संबंध में।

6.1 बैठक में मेसर्स एए ज्वेल्स, प्लॉट नंबर जी1-29, एसईजेड-1, सीतापुरा, जयपुर के मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 1-5/2003-एसईजेड-1(जे)/प्रोज./2021 दिनांक 16.10.2003 में नए आइटम / व्यापक सरबंदी / उत्पादन क्षमता के आकर्षण को शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

6.2 श्री अतुल सेठी, भागीदार, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के उत्तर और सही विवरण के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 प्रस्तुत करेगी।

24/1/24

6.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित उत्पादों को छोड़कर मौजूदा स्वीकृति पत्र (LOA) में वस्तुओं के अतिरिक्त/संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131143	शीर्षक 7102 के प्राकृतिक हीरे जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	2000.00
2.	71131144	कृत्रिम हीरे जड़े चांदी के आभूषण शीर्षक 7104	किग्रा	2000.00
3.	71162000	प्राकृतिक, कृत्रिम और पुनर्निर्मित सामग्री- काम किया	किग्रा	200.00
4.	96019040	सींग, मूंगा और अन्य पशु नक्काशी सामग्री और उसके सामान	किग्रा	200.00

6.4. यह अनुमोदन इकाई को पहले से दी गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई को वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 से संबंधित 16.08.2017 के निर्देश संख्या 88 का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएल्यूटी) को भी क्रियान्वित करेगी।

अनुपूरक कार्यसूची

कार्यसूची संख्या 7- अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए मेसर्स मोहन एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव:

7.1. बैठक में मेसर्स मोहन एक्सपोर्ट्स, प्लॉट संख्या जी1-47, एसईजेड-II, द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 2-30-एसईजेड-II (जे) परियोजना/167 दिनांक 23.07.2004 में स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

7.2. श्री अशोक अग्रवाल, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

7.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया कि इकाई ने वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निराशाजनक निर्यात किया है (वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और वित्त वर्ष 202-22 में शून्य निर्यात) और तदनुसार इकाई को नियमित निर्यात करने का अंतिम अवसर दिया। समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को पहले से बताई गई सभी कमियों की पुष्टि करने और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और खरीदारों के पूरे पते के साथ एचएसएन कोड के साथ माल का स्पष्ट विवरण देने वाले विस्तृत निर्यात आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने जेएसईजेड के सीमा शुल्क प्रभाग को स्टॉक और मशीनरी का निरीक्षण और सत्यापन करने के साथ-साथ इकाई की कार्यशील स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

22/5/24

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(म. प्रसाद)

उप विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त